

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल "चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011 फोन न.— .+91-755-2578801-02-03-04, Fax: .+91-755-2550498,

website: www.peb.mp.gov.in

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2020 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

			9			
ऑनलाईन आवेदन-पत्र						
ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रारम्भ तिथि : 08/01/2021 3			ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि : 22/01/2021			
ऑनलाईन आवेदन मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 08/	/01/2021	ऑनलाईन आ	वेदन में संशोधन व	करने की अंतिम तिथि	: 27/01/2021	
परीक्षा दिनांक व दिन			06 मार्च	2021 से प्रारम्भ		
पी.ई.बी. परीक्षा शुल्क (अ) विभागीय शुल्क (ब) कुल (अ+						
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	दो प्रश्न	पत्र के लिये	रू. 700/-	₹. 100/-	₹. 800/-	
जनारादात जन्यायया क लिय	एक प्रश्न	पत्र के लिये	₹. 500/-	₹. 100/-	₹. 600/-	
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये	दो प्रश्न	पत्र के लिये	₹. 350/-	₹. 50/-	₹. 400/-	
(केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	एक प्रश्न पत्र के लिये		₹. 250/-	₹. 50/-	₹. 300/-	
.ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरव	ने वाले अभ	यर्थियों हेतु एम	.पी.आनलाईन का	पोर्टल शुल्क रूपये 60/-	देय होगा इसके	
अतिरिक्त रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रू. देय होगा ।						
नोट:- म.प्र. शासन, गृह विभाग के आदेश क्रमांक 922/917/2020/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 04/12/2020 के अनुसार पुलिस विभाग स्तर पर						
विभागीय कार्यवाही हेतु "विभागीय शुल्क(ब)" बोर्ड द्वारा प्राप्त किया जाकर इस राशि को राज्य शासन के प्राप्त शीर्ष में जमा किये जाने की						
विभाग के पत्र क्र प्.म्. /2/चयन/स-3/1896-सी/2020 दिनांक 24/12/2020 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।						

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
06 मार्च 2021 से	प्रथम	प्रातः 07:00 से 08:00 बजे तक	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
प्रारम्भ	द्वितीय	अपरान्ह 01:00 से 02:00 बजे तक	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	सायं 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी:

- 1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
- 2. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- 3. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई-आधार कार्ड / आधार कार्ड की छायाप्रति /आधार नंबर /आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं | परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बह्स्तरीय बायोमेट्रिकसत्यापन अनिवार्य है ।
- 4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बह्स्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
- 5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
- 6. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
- 7. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

- 8. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है
- 9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमित नहीं होगी।
- 10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पी.ई.बी .द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रिक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है । अतः कम्प्युटर आधारित online परीक्षा मे उम्मीदवारो की पात्रता (Eligibility) पूर्णत प्रावधिक (Provisional) होगी ।
- 11. उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।
- 9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमित नहीं होगी ।
- 10. विभाग के पद पर भर्ती हेतु आदिम जनजाति (बैगा, सहारिया एवं भारिया) के अभ्यार्थयों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं रखा गया है, अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आनलाईन आवेदन करें। (ऐसी स्थिति में नियम पुस्तिका की बैगा,सहारिया एवं भारिया से संबंधित सभी कण्डिकायें विलोपित मान्य होगी।)

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, म0प्र0

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011 फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.peb.mp.gov.in

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2020

विषय सूची

क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रं.		
1.	1	पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के	4-20		
		आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2020			
2.	2	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	21-34		
3	3	परीक्षा का पाठ्यक्रम	35		
4.	प्रारूप-1	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	36		
5.	4	अन्य प्रारूप	37-42		
सभी पद तृतीय एवं कार्यपालिक श्रेणी के है ।					

नोट :- मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2(अ)03/2019/बी-4/दो भोपाल, दिनांक 25/09/2020 के अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05/06/2018 की कण्डिका 1.4 के अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्त हेतु 20 प्रतिशत पद आरक्षित किये जाने के प्रावधान से पुलिस भर्ती को मुक्त रखा गया है।

अध्याय - 1

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक (जी.डी) एवं आरक्षक (रेडियो) की भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2020 के लिए विभागीय नियम 1.1सामान्य:-

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्र./पुमु/चयन/स-3/1762-ए/2020 दिनांक 25/11/2020 द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षक (जी. डी.)एवं आरक्षक (रेडियो) के पदों पर नियुक्ति के लिये इच्छुक पुरुष/महिला उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। 1.2 परिभाषायें:-

- (क) "आरक्षण" से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।
- (ख) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रुप में विनिर्दिष्टि किया गया है।
- (ग) "अनुसूचित जन जाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (घ) "अन्य पिछडे वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक -एफ-8-5 पच्चीस-4-84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में ।
- (च) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमाक 07-11/2019 /आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्लू.एस.) के लिए सीधी भर्ती के प्रकरण पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है एवं संशोधन आदेश एफ-07-11/2019/ आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 18 जुलाई, 2019 के अनुसार प्रारूप-6 संलग्न ।
- (छ) पी.ई.बी. से अभिप्रेत है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
- (ज) ''विभाग'' से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश पुलिस विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है।
- (झ) "समिति" से अभिप्रेत है पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित की गई चयन समिति।
- (ट) ''प्रथम चरण'' से अभिप्रेत हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा आयोजित ऑनलाईन परीक्षा ।
- (ठ) "द्वितीय चरण" से अभिप्रेत है-प्लिस विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा।
- (ढ) "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है भारत सरकार रक्षा मंत्रालय केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली द्वारा परिभाषित है।

आरक्षण तालिका

RADIO

Constable (Radio)	UR	ОВС	SC	ST	EWS	Total
Open	16	16	9	11	6	58
Ex Serv (10%)	4	4	2	3	1	14
HG (15%)	6	6	3	4	2	21
Female (33%)	12	12	7	9	5	45
Total	38	38	21	27	14	138

Other than Radio

Constable (GD)	UR	OBC	SC	ST	EWS	Total
Open	472	472	280	349	175	1748
Ex Serv (10%)	104	104	62	78	39	387
HG (15%)	157	157	92	116	58	580
Female (33%)	310	310	183	229	115	1147
Total	1043	1043	617	772	387	3862

Radio+ Other than Radio = 138+3862=4000

आरक्षक (GD) के पदों का वर्गीकरण निम्नानुसार है :-

Break up: DEF

•						
(GD)	UR	OBC	SC	ST	EWS	Total
Open	394	394	234	292	146	1460
Ex Serv (10%)	94	94	56	70	35	349
HG (15%)	141	141	83	104	52	521
Female (33%)	310	310	183	229	115	1147
Total	939	939	556	695	348	3477

Break up: SAF

(GD)	UR	OBC	sc	ST	EWS	Total
Open	78	78	46	57	29	288
Ex Serv (10%)	10	10	06	80	04	38
HG (15%)	16	16	09	12	06	59
Female (33%)	00	00	00	00	00	00
Total	104	104	61	77	39	385

पत्र क्र. पुमु/अमनि/निस/चयन/274 ए/2020 दिनांक22/10/2020 के अनुसार

नोट-(1) म0प्र0शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 556/128/96/ब-2/दो, दिनांक 31 जनवरी 1996 के द्वारा स्वयं सेवी नगर सैनिकों को पुलिस आरक्षक की भर्ती में 15 प्रतिशत पद आरिक्षित है। इस लाभ के लिये नगर सैनिक के रूप में ऑन लाईन आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम दिनांक तक तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिये। होमगार्ड सैनिकों की सेवा के संबंध में संलग्न प्रारूप-7 में प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ देना अनिवार्य है।

(2) म.प्र.शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक/2076/7463/2015/बी-4/दो भोपाल दिनांक 19.06.2015 द्वारा महिलाओं के लिये दिये गये 33 प्रतिशत 'हॉरीजोन्टल एवं कम्पार्टमेन्ट वाईज' आरक्षण निर्धारित किया गया है।

(3) म0प्र0 शासन सा0प्र0विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ मंत्रालय के आसाधारण राजपत्र आदेश दिनांक 21 अप्रेल 1999 के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिये शासकीय सेवा में तृतीय श्रेणी के लिये 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है।

ये तीनों ही आरक्षण महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं स्वयं सेवी होमगार्ड के लिये हॉरीजोन्टल आरक्षण है। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरिक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगें। ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जावेंगे यदि चयन सूची में पहले से ही 15 प्रतिशत होमगार्ड सैनिक, 33 प्रतिशत महिलायें, तथा 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मेरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से हॉरीजोन्टल आरक्षण और नहीं दिया जायेगा।

- (4) यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि आर्थिक-सामाजिक वर्ग पर आधारित आरक्षण अर्थात अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण 'वर्टिकल' स्वरूप का है। होमगार्ड सैनिकों, महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण "हारीजोन्टल-ओवरआल" स्वरूप का है। आरक्षण के आधार पर चयन का आधार माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्न निर्णयों पर आधारित है-
 - 1. इन्द्रा साहनी विरूद्ध भारत संघ(संदर्भ:- 1992 SUPP(3) SCC-217)
 - 2. अनिल कुमार गुप्ता विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य) संदर्भ :1995 (2) SUPP, SCR 396- 1995(5) SCC-
 - 3. रमेश राम विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य (सिविल अपील क्र. 4310-4311 OF 2010)
 - 4. राजेश कुमार डारिया विरूद्ध राजस्थान लोक सेवा आयोग (संदर्भ:- अपील (सिविल) 3132/2007)
 - 5. सत्य प्रकाश विरूद्ध भारत संघ (संदर्भ:- अपील (सिविल) 5505-5507/2003)
- (5) शासन द्वारा आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के तहत पद सुरक्षित होंगे। अंतिम चयन के समय में वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
- (6) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमाक 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई, 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्लू.एस.) के लिए सीधी भर्ती के प्रकरण पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है एवं संशोधन आदेश एफ-07-11/2019/ आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 18 जुलाई, 2019 के अनुसार प्रारूप-6 संलग्न।
- (7) आरक्षक भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व सीधी भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है, तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा।
- (8) मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2(अ)03/2019/बी-4/दो भोपाल, दिनांक 25/09/2020 के अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05/06/2018 की कण्डिका 1.4 के अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्त हेत् 20 प्रतिशत पद आरक्षित किये जाने के प्रावधान से पुलिस भर्ती को मुक्त रखा रखा गया है।

1.4 <u>नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में</u>:-

- 1.4.1 पद पर निय्क्ति के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिये।
- 1.4.2 किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।
- 1.4.3 ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा 01 अगस्त 2020 को न्यूनतम

- 18 वर्ष एवं अधिकतम 33 वर्ष होना चाहिए। अर्थात किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेत् म0प्र0 राज्य का स्थायी मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- 1.4.4 स्वंयसेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नान कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूरी होना चाहिए।
- 1.4.5 अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

1.5 पद का वेतनमान:-

स.क्र.	पदनाम	वेतनमान
1	आरक्षक (जी.डी.)	19500-62000
2	आरक्षक (रेडियो)	19500-62000

नोट :- (म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक सी. 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार वेतनमान न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टायपेंड देय)

दिये गये समस्त संवर्गों के वेतनमान के अलावा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिलब्धियाँ देय होगी। म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम-4/दिनांक 13.4.2005 एवं क्रं एफ-9/डी/2003 नियम-4 दिनांक 2.7.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये पारिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई है।

1.6 परीक्षा केन्द्र:- परीक्षा केन्द्रों का विवरण अध्याय-2 में देखें।

1.7 निर्धारित आय् सीमा:-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 अगस्त 2020 को 18 वर्ष से कम एवं 33वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रं. 3-8/2016/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2017 के संशोधित आदेश क्रमांक सी. 3-14/2019/एक/3 भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2019 अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नान्सार है :-

क्रं.	भर्ती का तरीका	म.प्र. लोक र	तेवा आयोग से	म.प्र.लोक	सेवा आयोग
		भरे ज	ाने वाले	की परिधि से बाहर के	
		पदों(राजपत्रि	त/अराजपत्रित/	तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के	
		कार्यपालि	क) के लिए	वर्दीधारी पदों के लिए	
		न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
		वर्ष में	वर्ष में	वर्ष में	वर्ष में
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों	21	22	10	22
	के लिए	21	33	18	33
2.	महिला आवेदक(अनारक्षित वर्ग)	21	38	18	38
	पुरूष्/महिला आवेदक		(अधिकतम		(अधिकतम
2	(आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित		आयुसीमा		आयुसीमा
	जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग)		में 05 वर्ष		में 05 वर्ष
	शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी		की छूट)		की छूट)
	तथा नगर सैनिक				

सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रं. सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार :-

- प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु-सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी ।
- उक्त आदेश की कण्डिका 3 के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

1.8 <u>उच्चतर आयु सीमा में सामान्य छूट</u>:-

निम्न मापदण्डों के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है:

- 1.8.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतमआयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्राप्त होगी अर्थात इस जाति वर्ग के अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 अगस्त 2020 को 18 वर्ष से कम एवं 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- 1.8.2 मध्यप्रदेश राज्य शासन के निगम/मण्डल के कर्मचारियों को भी आयु-सीमा में छूट के प्रयोजन के लिये शासकीय सेवक माना गया है। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी/कायभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।
- 1.8.3 यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्थानीय निकायों जैसे जिला पचांयत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका आदि में कार्यरत संविदा शिक्षक, सहायक अध्यापक आदि जो स्थानीय निकाय के कर्मचारी है, उन्हें अधिकतम आयु-सीमा में छूट प्राप्त नहीं है।
- 1.8.4 स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नान कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी पूरी 3 वर्ष की सिक्रय सेवा पूर्ण होना चाहिए। अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थ्यता अथवा भगोड़े होने के कारण पृथक किये गये नगर सैनिकों को इस संवर्ग के अन्तर्गत नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, अतः आयु सीमा में छूट की पात्रता का प्रश्न ही नहीं उठता।
- 1.8.5 छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी को उसकी आयु सीमा में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 07 वर्ष की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते की इसके परिणाम स्वरुप ऐसे अभ्यर्थी की आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं हो, अर्थात 36 वर्ष से अधिक न हो। छटनी किये गये सरकारी कर्मचारी' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो मध्य प्रदेश शासन अथवा किन्हीं भी संघटक ईकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में निरन्तर कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो। अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता के आधार पर सेवामुक्त किये गये भूतपूर्व शासकीय कर्मियों को इस सेवा में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। अतः इन्हे आयु सीमा में छूट की पात्रता भी नहीं होगी।
- 1.8.6 उन अभ्यर्थियों को जो भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं उसकी वर्तमान आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालाविध कम करने की पात्रता होगी, बशर्ते इसके परिणाम स्वरुप उनकी आयु अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।भूतपूर्व सैनिक की पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में सैनिक की रक्षा सेवा में नियमानुसार पेंशन प्राप्त करता हो अथवा अशक्त होने पर चिकित्सा संगठन द्वारा अशक्त पेंशन प्राप्तकर्ता को ही भूतपूर्व सैनिक माना गया है। दुराचरण अथवा अक्षमता के आधार पर सेना से निष्कासित किये गये व्यक्तियों को भूत पूर्व सैनिको के लाभ प्राप्त नहीं होंगे।
- नोट :- 1.भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में वे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्हें भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली के नवीनतम पत्र द्वारा परिभाषित किया गया है।

 2.केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्यों के सेवारत अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवकों को आयु में किसी ऐसी छूट की पात्रता नहीं है, जो इन नियमों में नहीं दी गई। वे भूतपूर्व सैनिक उनके लिये हॉरीजोन्टल आरक्षण के लाभ के लिये पात्र नहीं होगें, जिन्होंने किसी भी शासकीय नियोजन के लिये पूर्व में इसका लाभ प्राप्त कर लिया है। सी.आर.पी.एफ, बी.एस.एफ,

आई.टी.बी.पी. आदि केन्द्र शासन के अर्द्ध सैनिक या पुलिस बलों के सदस्यों को आयु में छूट की पात्रता नहीं है।

3.शासकीय सेवकों को उक्त छूट की पात्रता प्राप्त करने एवं चयन से हुई नियुक्ति की पात्रता प्राप्त करने के लिये अपने वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमित अवश्य ही प्राप्त करनी होगी और ऐसी लिखित अनुमित को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। साथ ही अंतिम वेतन पर्ची प्रस्तुत करनी होंगी। केवल वहीं शासकीय अभ्यर्थी आयु में छूट का लाभ ले पायेगे, जो कि उस पद के लिये आवेदन कर रहें हैं, जिसका वेतनमान उनके पूर्व पद के मुकाबले अधिक है।

- 1.8.7 मध्यप्रदेश की स्थायी निवासी विधवा, परित्यक्तता एवं तलाकशुदा सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं हेत् अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी।
- 1.9 मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को प्रोत्साहन स्वरुप आय् सीमा में मिलने वाली छूटें :-
 - 1.9.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी। इस संबंध में विवाह पंजीयन कर्ता शासकीय अधिकारी का पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की दिनांक के पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।
 - 1.9.2 "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त अभ्यार्थियों के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
 - 1.9.3 बिन्दु 1.9.1 से 1.9.2 तक प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अन्तर्गत यिद कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिये छूट मिलेगी। बिन्दु 1.9.1 से 1.9.2 तक प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटें, बिन्दु 1.8.1 से 1.8.7 तक मिलने वाली सामान्य छूटों के अतिरिक्त होगी।

1.10 बच्चे सम्बन्धी:-

कोई उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

- 1.11 किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तदाशय का निर्धारित प्रारुप में प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय पेश करना होगा। जाति प्रमाण पत्र के नमूने इस नियम पुस्तिका के अध्याय-4 में दर्शाए गए हैं।
- 1.12 <u>न्यूनतम शारीरिक अर्हता</u>:-अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अवश्य होनी चाहिए:-

क्र.	पद	वर्ग	<u> ऊंचाई</u>	सीना	
1	आरक्षक (जीडी) (अनारक्षित, अनुसूचित जातिएवं अन्य पिछड़ा वर्ग)	पुरूष	168 से.मी.	81 से.मी.	86 से.मी.
	जातएव अन्य पिछड़ा वर्ग)	महिला	155 से.मी.	लाग् नहीं	
2	आरक्षक (जीडी) (अनुसूचित जनजाति)	पुरूष	160 से.मी.	76 से.मी.	81 से.मी.
		महिला	155 से.मी.	लागू नहीं	

(अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंमी का अन्तर होना आवश्यक हैं। इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।)

नोट:- महिला उम्मीदवारों के लिये सीने की कोई माप का प्रावधान नहीं है।

1.12.1 विशेष सशस्त्र बल के सभी पदों हेतु विसबल नियम, 1973 के नियम 21 एवं 22 के निम्नान्सार प्रावधान लागू रहेगें:-

नियम 22 के अनुसार विशेष सशस्त्र बल में सीधी भर्ती हेतु उम्मीदवार के पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हतायें होनी चाहिए:-

1.ऊँचाई	जाति	विसबल नियम 22
	सामान्य जाति	5'6"
	गोरखा, गढ़वाली, कुमांउ के मामलों में	5'2"
	मराठों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये	5'5"
2.वक्ष	अविस्तारित	31"
	विस्तारित	33"

- यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के अतिरिक्त किसी भी अभ्यर्थी को ऊँचाई मापदण्ड में कोई भी छूट प्रदान नहीं की जावेगी एवं चयन उपरांत निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं होने पर चयन निरस्त किया जावेगा
- अतः यह अपेक्षा की जाती है अभ्यर्थी ऑन-लाईन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी स्वयं की ऊँचाई एवं सीने की माप से संतुष्ट होने पर ही उपरोक्त वर्णित पात्रता अनुसार जिला बल अथवा विशेष सशस्त्र बल हेतु आवेदन करें।
- 1.12.2 उम्मीदवारों का शरीर किसी प्रकार से विकृत नही होना चाहिए।
- 1.12.3 अभ्यर्थी में नॉक-नी अथवा फ्लेट फुट' एवं आँखों से संबंधी कोई रोग नहीं होना चाहिए तथा अच्छी वायनाकुलर दृष्टि का अवश्य हो एवं आंख को टोपों (eylids) एवं आंख में पुतली की बीमारी से ग्रस्त न हो । आँखों की दृष्टि तीव्रता बिना चश्में के 6/9 से कम एवं दूसरी आँख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्में 6/12 से कम नहीं होना चाहिए । मुख्य रंगोका भेद करने में उम्मीदवारों को सक्षम होना चाहिए एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टि से पूर्णतः योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक हैं।
- नोट- (1)यहा यह स्पष्ट किया जाता हैं कि जो उम्मीदवार उपरोक्त ऊंचाई एवं सीने की माप पूरी करते हैं स्वयं सुनिश्चित करने के बाद आवेदन करें।
 - (2) चयन प्रक्रिया के दौरान पुलिस विभाग द्वारा उम्मीदवारों के ऊंचाई एवं सीने की माप नहीं ली जावेगी।
 - (3) चयन प्रक्रिया के उपरान्त चयनित उम्मीदवारों का स्वास्थ्य परीक्षण जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जावेगा। जो उम्मीदवार पुलिस सेवा के लिये स्वास्थ्य के निर्धारित मापदण्डों में अपूर्ण अथवा कम पाये जावेंगे उन्हे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी तथा उनका नाम चयन सूची से पृथक कर दिया जावेगा।
 - (4) न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। शारीरिक अर्हताओं में किसी भी स्तर पर छूट नहीं दी जावेगी ।
 - (5) प्रक्रिया के अन्त में निराशा से बचने के लिये अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने के पूर्व अपनी न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं के बारे में सिविल सर्जन से नाप जोख की पुष्टि कर लें। न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं को पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें। जो उम्मीदवार पुलिस सेवा के लिये स्वास्थ्य के निर्धारित मापदण्डों में अपूर्ण अथवा कम पाये जावेंगे उन्हें नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी तथा उनका नाम चयन सूची से पृथक कर दिया जावेगा।

1.13 न्युनतम शैक्षणिक अर्हताएं:-

क्र.	पदनाम	अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा	अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक			
		अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षणिक अर्हताएँ	अर्हताएं			
1	आरक्षक (जीडी)	10+2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा की	8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा			
		परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष	उत्तीर्ण			
		परीक्षा उत्तीर्ण				

2 आरक्षक (रेडियो)

(अ)इस पद के लिये उम्मीदवारों को 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत 12वीं कक्षा पास होना चाहिये।

(ब) कौशल विकास एवं उद्धमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT)/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT) से मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. के दो वर्षीय पाठ्यक्रम

इलेक्ट्रॉनिक/कम्प्यूटर/इन्स्ड्रमेन्ट/इन्फॉर्मेशन तकनीकी/टेंली कम्यूनिकेशन मे से किसी एक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिये। उदाहरण के लिये-

- 1- Electronic Mechanic
- 2- Mechanic Radio & Television
- 3- Instrument Mechanic
- 4- Mechanic Computer Hardware
- 5- Information Communication Technology
- 6- Information Technology
- 7- Technician Power Electronics

अथवा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार (MHRD)/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त पोलिटेक्निक से किसी भी एक विषय अथवा 3 वर्षीय डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक/कम्प्यूटर/इन्स्ड्र्मेन्ट/ इन्फॉर्मेशन तकनीकी/टेली कम्यूनिकेशन मे से किसी एक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिये। उदाहरण के लिये-

- 1- Electrical
- 2- Electronic
- 3- Electronic & Telecommunication
- 4- Instrumentation
- 5- Computer Sciencec
- 6- Information Technology

अथवा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार (MHRD)/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी एक विषय अथवा ---

इलेक्ट्रॉनिक/कम्प्यूटर/इन्स्ड्रमेन्ट/इन्फॉर्मेशन	
तकनीकी/टेंलीकम्यूनिकेशन मे से किसी एक	
विषय में 4 वर्षीय डिग्री कोर्स(बी.ई. या	
बी.टेक) का प्रमाण पत्र होना चाहिये-	
उदाहरण के लिये-	
1- Electronics &Communication	
2- Instrumentation	
3- Electrical	
4- Electronics Engineering	
5- Computer Sciencec	
6- Information Technology	
(स) कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अग्रेजी	
टायपिंग का ज्ञान होना चाहिये।	

1.13.1 शैक्षणिक योग्यता में छूट:-

शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जावेगी, किन्तु अपवादित मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उर्त्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिये पात्र समझती हो। समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा चयन में सम्मिलित कर सकेगी जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विद्यालय से उपाधियाँ प्राप्त की हों जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रुप से मान्यता प्राप्त न हो।

- 1.13.2 निर्धारित समस्त अर्हताएं आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक उम्मीदवार के पास अवश्य होनी चाहिये, उदाहरण के लिये यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठा है और उसके पास 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं है।इसी प्रकार अन्य प्रमाण पत्र जो ऑन लाईन आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम दिनांक के पश्चात जारी किये गये है उन्हें मान्य नहीं किया जावेगा। एवं अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।
- 1.14 आवेदन करने हेतु पात्रता:- मध्यप्रदेश पुलिस में विभाग की कार्यप्रणाली, कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता तथा उम्मीदवारों की बढ़ती हुई विशाल संख्या के कारण शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के आयोजन एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लगने वाले समय को देखते हुये जिला पुलिस बल, विशेष सशस्त्रबल तथा दूरसंचार संगठन में आरक्षकों की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी रखते हुये सुगम बनाने के उददेश्य से एक लिखित परीक्षा (Common) आयोजित की जावेगी। उम्मीदवार को निर्धारित अर्हता एवं दिये गये पदस्थापना की प्राथमिकता के विकल्प के अनुसार इकाइयों में पदस्थापना की जायेगी:-

तालिका-A

क्रमांक	पदनाम
1	आरक्षक (जी.डी.), जिला पुलिस बल
2	आरक्षक (जी.डी.), विशेष सशस्त्र बल
3	आरक्षक (रेडियो)

तालिका-B

क्र.	पदस्थापना हेतु इकाई	क्र.	पदस्थापना हेतु इकाई	क्र.	पदस्थापना हेतु इकाई
1	आगर	2	अलीराजपुर	3	अनूपपुर
4	अशोकनगर	5	बडवानी	6	बालाघाट
7	बैत्ल	8	भिण्ड	9	भोपाल
10	बुरहानपुर	11	छतरपुर	12	छिन्दवाड़ा
13	दमोह	14	दतिया	15	देवास
16	धार	17	डिण्डौरी	18	गुना
19	ग्वालियर	20	हरदा	21	होशंगाबाद
22	इन्दौर	23	जबलपुर	24	झाबुआ
25	कटनी	26	खण्डवा	27	खरगौन
28	मण्डला	29	मंदसौर	30	मुरैना
31	नरसिंहपुर	32	नीमच	33	पन्ना
34	रायसेन	35	राजगढ़	36	रतलाम
37	रीवा	38	सागर	39	सतना
40	सिहोर	41	सिवनी	42	शहडोल
43	शाजापुर	44	शिवपुरी	45	सीधी
46	सिंगरौली	47	टीकमगढ़	48	उज्जैन
49	उमरिया	50	विदिशा	51	35वी वाहिनी विसबल,
					मण्डला
52	36वी वाहिनी विसबल, बालाघाट	53	दूरसंचार संगठन भोपाल		

1.15 परीक्षा की योजना:-

पी.ई.बी.भोपाल द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसके साथ वांछित दस्तावेज संलग्न किए जाने होंगे। ऑनलाईन आवेदन-पत्रों की स्क्रूटनी संबंधी आवश्यक निर्देश अध्याय-2 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार ऑनलाईन परीक्षा हेतु अंतरिम प्रवेश पत्र प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर उपलब्ध होंगे।

आरक्षकों की चयन परीक्षा को निम्न लिखित दो चरणों में संपन्न कराया जावेगा :-

- प्रथम चरण: ऑनलाईन परीक्षा- प्रथम प्रश्न पत्र समस्त पदों के उम्मीदवारों हेतु।
 ऑनलाईन परीक्षा- द्वितीय प्रश्न पत्र आरक्षक (रेडियो) के उम्मीदवारों हेतु।
- नोट:- आरक्षक (रेडियो) पद के उम्मीदवारों हेत् प्रथम एवं द्वितीय दोनों प्रश्न पत्र देना अनिवार्य है।
- 2. द्वितीय चरण: शारीरिक प्रवीणता परीक्षा प्रथम चरण में पात्र उम्मीदवारों के लिये,

इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारो द्वारा प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड को आवेदन पत्र एम.पी. ऑन-लाईन (M.P. Online) के माध्यम से भरे जाते है। किसी भी उम्मीदवार को एक आवेदन जमा करने की पात्रता है। यदि कोई उम्मीदवार एक आवेदन जमा करने के बाद केन्द्र के परिवर्तन आदि के लिये दूसरा आवेदन जमा करना चाहता है तो उसे अपना पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त करना होगा, उसके बाद ही नया आवेदन स्वीकार किया जावेगा।

आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड अथवा अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है। अतः ऑनलाईन परीक्षा में उम्मीदवारों का प्रवेश तथा ऑनलाईन परीक्षा का परिणाम प्रावधिक (Provisional) होगा। ऑनलाईन परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है। ऑनलाईन परीक्षा के आधार पर शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिये बुलाये गये उम्मीदवारों के समस्त मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जावेगा।मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में सफल होने पर उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में भाग लेने की पात्रता प्राप्त होगी।

यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो उसे अगले चरण में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी, तथा उसकी अभ्यर्थिता समाप्त करते हुए उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी भले ही वह ऑनलाईन परीक्षा में सफल रहा हो। यदि उम्मीदवार उपरोक्त मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में योग्य पाया जाता है तथा शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में क्वालीफाई कर सफल होता है, तभी उसे उसके पद की मेरिट में आने की पात्रता होगी।

1.15.1 प्रथम चरण - ऑनलाईन परीक्षा:-

मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्डद्वारा ली जाने वाली ऑनलाईन परीक्षा के प्रश्न पत्रों में विषय, समय, अविध एवं अधिकतम अंक हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में निम्नान्सार होंगे:-

क्र	पद	प्रश्न पत्र	अवधि	अधिकतम अंक
1	आरक्षक (जी.डी.) (प्रथम प्रश्न पत्र समस्त उम्मीदवारों	ऑनलाईन परीक्षा	02 घंटे	100
	के लिये)			

जो अभ्यर्थी आरक्षक (रेडियो) पद हेतु पात्रता रखते है एवं आवेदन करते है, उन्हें उपर्युक्त प्रथम प्रश्न पत्र के साथ निम्नानुसार द्वितीय प्रश्न पत्र देना होगा।

2	आरक्षक (रेडियो) (द्वितीय प्रश्न	। पत्र आरक्षक (रेडियो)	ऑनलाईन परीक्षा	02 घंटे	100
	पद के उम्मीदवारों के लिये)				

- नोट :- (क) पुलिस मुख्यालय म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक पुमु./2/चयन/स-3/1875-ए/2020 के अनुसार आरक्षक संवर्ग भर्ती जी.ओ.पी. 137/12 एवं आरक्षक (रेडियो) जी.ओ.पी. 145/19 के आधार पर उम्मीदवार जो दोनो पदों हेतु पात्रता रखता है तो एक ही आवेदन में वह दोनों पदों हेत् आवेदन कर सकता है।
 - (ख) ऑनलाईन परीक्षा हाल में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा जिनके पासप्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र होगा। फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे:- आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/ड्राइविंगलाइसेंस/आयकर विभाग का पेनकार्ड/पासपोर्ट/बैंक पासबुक/शासकीय संस्था द्वारा जारी किया हुआ फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। ई-आधार मान्य नहीं है।
 - (ग) आवेदक को ऑनलाईन परीक्षा के लिये प्रोफेशनल एक्जमिनेशन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र तथा काला बॉल प्वाइंट पेन अपने साथ लाना होगा।
 - (घ) ऑनलाईन परीक्षा में किसी प्रकार के केलकुलेटर, मोबाईल आदि के उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी।
 - (इ.) ऑनलाईन परीक्षा में जो उम्मीदवार अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुये अथवा नकल सामग्री के साथ पकड़ा जावेगा उसे तीन वर्षों के लिये आरक्षक चयन की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा तथा अन्य उचित वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।
- 1.15.2 अगले चरण की परीक्षा हेतु ऑनलाईन परीक्षा की मेरिट सूची:-
 - (1) एक उम्मीदवार को एक आवेदन करने की पात्रता होगी । द्वितीय चरण हेतुऑनलाईन परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर उम्मीदवारों को प्रत्येक समूह के लिये जाति वर्ग के अनुसार रिक्तियों के 5 गुनी संख्या में बुलाया जावेगा।

- (2) प्रावीण्य सूची ऑनलाईन परीक्षा कुल पूर्णाक 100 एवं 100 के आधार पर प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी। सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनु0जा0/ अनु0ज0जा0/अन्य पिछड़ा वर्ग) के वे उम्मीदवार भी शामिल होगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारिक्षित पदों के लिये सभी अन्य अर्हतायें भी पूरी करते है। शेष उम्मीदवारों में से अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की उनके अपने-अपने जाति वर्ग के लिये विज्ञापित आरिक्षित पदों के 05 गुने के लिये पृथक-पृथक सूचियाँ बनाई जायेगी।
- (3) ये सूचियां बनाने के बाद ओवरऑल हॉरीजोन्टल आरक्षण को प्रभावी किया जायेगा। ओवरऑल हॉरीजोन्टल आरक्षण के लिये केवल वे महिलायें तथा भूतपूर्व सैनिक पात्र होंगे, जो कि अपनी-अपनी वर्टीकल आरक्षण श्रेणी के कटऑफ अंक से अधिक अंक पाये हो तथा शारीरिक प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।
- (4) स्वयं सेवी होमगार्ड नगर सैनिकों के लिये 15 प्रतिशत "ओवरआल हाँरीजेन्टल आरक्षण" लागू है। शासन के आदेशानुसार स्वयं सेवी नगर सैनिकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा से छूट है। होमगार्ड सैनिकों की मेरिट को उनकी होमगार्ड सैनिक के रुप में सेवाकाल की अविध के क्रम में निर्धारित करते हुये उनके लिये आरिक्षित पदों के पांच गुना होमगार्ड सैनिक उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीणता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। यदि कई होमगार्ड सैनिकों का सेवाकाल बराबर पाया जाता है तो अिंक आयु वाला होमगार्ड सैनिक उम्मीदवार,कम आयु वाले होमगार्ड सैनिक से मेरिट क्रम में ऊपर होगा।
- (5) भू0पू0 सैनिकों एवं महिलाओं का क्रमशः 10 एवं 33 प्रतिशत ओवरऑल हॉरीजोन्टल आरक्षणहैं। ओवरऑल हॉरीजोन्टल आरक्षणमें योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने से कोई पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगे बल्कि उस वर्टीकल आरक्षण श्रेणी के ओपन उम्मीदवारों से उन्हें पूरा किया जायेगा।
- (6) प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा उम्मीदवारों को ऑनलाईन परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर जाति वर्ग अनुसार रिक्त पदों के 05 गुना संख्या में रोल नम्बर के क्रम में चयन सूची पुलिस मुख्यालय के माध्यम से चयन समितियों को उपलब्ध कराई जावेगी। जाति वर्ग अनुसार 05 गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जावेगा, भले ही कुल संख्या 05 गुना से अधिक हो जावे।
- (7) ऑनलाईन परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी। अर्थात समान अंक प्राप्त करने वाले जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी वह मेरिट क्रम में समान अंक प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से ऊपर रहेगा
- (8) प्रथम चरण में आयोजित ऑनलाईन परीक्षा का परिणाम प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड भोपाल की वेबसाईट पर पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा उपरान्त उपलब्ध रहेगा तथा इसके साथ ही द्वितीय/तृतीय चरण की तिथियों एवं केन्द्रों की जानकारी भी परिणाम के साथ उपलब्ध करवाई जाएगी। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा का परिणाम मण्डल की वेबसाईट से स्वयं डाउनलोड करना होगा एवं उम्मीदवारों को इस संबंध में पृथक से सूचित नहीं किया जाएगा। प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाईट से डाउनलोड किये गये परिणाम प्रिंट को प्रस्तुत करने के उपरान्त ही द्वितीय/तृतीय चरण के लिये निर्धारित केन्द्र पर प्रवेश दिया जाएगा।
- 1.16 <u>द्वितीय चरण प्रमाण पत्रों की जांच, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट</u>:-

द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रमाण पत्रों की जांच,शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट की कार्यवाही पुलिस म्ख्यालय द्वारा गठित चयन समितियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न केन्द्रों में सम्पन्न की जावेगी।

1.16.1 प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित समितियों के सीधे पर्यवेक्षण में की जावेगी। यह कार्यवाही प्रदेशके विभिन्न केन्द्रों में सम्पन्न की जावेगी। आवेदक अपने ऑनलाईन

आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न करेंगे एवं चयन समिति के समक्ष दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) प्रस्त्त करना होगा:-

- (1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हों,
- (2) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र,
- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारुप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये। प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस नियमावली के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं.
- (4) स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नॉन-कमीशन्ड अधिकारियों अभ्यर्थियों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये नगर सेना की तीन वर्ष की सेवा काल का प्रमाणपत्र,
- (5) भूतपूर्व सैनिकों के मामले मेंसेनाकी सेवा का प्रमाण पत्र,
- (6) पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र,
- (7) परित्यक्ता महिला के लिये लागू उच्चतम आयु सीमा की छूट प्राप्त करने हेतु महिला उम्मीदवारों को परित्यक्ता होने के प्रमाण के रुप में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के स्तर का नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विवाह के बाद महिला उम्मीदवार को उसके पति ने विधिवत तलाक दिये बिना छोड़ दिया है तथा उक्त पति से महिला उम्मीदवार को कोई गुजारा भत्ता नहीं प्राप्त होता है।
- (8) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतगर्त पुरूस्कृत किसी दम्पित में से उच्च जाति के पित/पत्नी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
- (9) "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त अम्यार्थियों को उच्चतर आयु सीमा में छूट "विक्रम पुरस्कार" हेतु पुरुस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
- (10) विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र,
- (11) नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये,
- (12) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों हेतु मध्यप्रदेश राज्य का मूलनिवासी प्रमाण पत्र अर्थात समस्त प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्यप्रदेश राज्य का मूलनिवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- (13) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ई.डब्ल्.एस. का प्रमाण पत्र ।

नोटः-

- दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोप्रति तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जायेगा। अध्याय-4 में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधितप्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।
- यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो अंतिम चयन के लिये अहर्य नहीं माना जायेगा।

1.16.2 शारीरिक प्रवीणता टेस्ट:-

शारीरिक प्रवीणता परीक्षा तीन विधाओं, 800 मीटर दौड़, गोला फेंक एवं लम्बी कूद में सम्पन्न की जावेगी। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिये कोई अंक नही दिये जायेगें यह केवल क्वालीफाईग होगी। इन तीन विधाओं को क्वालीफाई करने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित हैं:-

आरक्षक (जी.डी.) के उम्मीदवारों के लिये -

豖.	पदनाम	800 मीटर दौड़ में	गोला फेंक में सफल होने	लम्बी कूद में
		सफल होने हेतु	हेतु तय दूरी	सफल होने हेतु
		समय-सीमा		तय दूरी
1	आरक्षक(जी.डी.)	2 मिनिट 45 सैकेण्ड	19 फीट (गोले का वजन	13 फीट
			7.260 कि0ग्रा0)	
2	आरक्षक(जी.डी.)- महिला/महिला	4 मिनिट	15 फीट (गोले का वजन	10 फीट
	होमगार्ड		4 कि0ग्रा0)	
3	भूतपूर्व सैनिक	3 मिनिट 15 सैकेण्ड	3 मिनिट 15 सैकेण्ड 15 फीट (गोले का वजन	
			7.260 कि0ग्रा0)	
4	होमगार्ड सैनिक	3 मिनिट 15 सैकेण्ड	17 फीट (गोले का वजन	12 फीट
			7.260 कि0ग्रा0)	

आरक्षक (रेडियो) के उम्मीदवारों के लिये-

क्र.	पदनाम	800 मीटर दौड़ में	गोला फेंक में सफल होने	लम्बी कूद में
		सफल होने हेतु	हेतु तय दूरी	सफल होने हेतु
		समय-सीमा		तय दूरी
1	आरक्षक(रेडियो)-समस्त श्रेणी के	2 मिनिट 45 सैकेण्ड	19 फीट (गोले का वजन	12फीट
	पुरूष उम्मीदवार		7.260 कि0ग्रा0)	
2	आरक्षक(रेडियो)-समस्त श्रेणी	4 मिनिट	15 फीट (गोले का	10 फीट
	की महिला उम्मीदवार		वजन4 कि0ग्रा0)	
3	भूतपूर्व सैनिक	3 मिनिट 15 सैकेण्ड	15 फीट (गोले का वजन	10 फीट
			7.260 कि0ग्रा0)	
4	होमगार्ड सैनिक	3 मिनिट 15 सैकेण्ड	15फीट (गोले का वजन	10फीट
			7.260 कि0ग्रा0)	

नोट:-

- 1. आरक्षक (जी0डी0) एवं आरक्षक (रेडियो) के पद हेतु पुरूष/महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड सैनिक के उम्मीदवारों को समस्त तीन विधाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- 2. 800 मीटर दौड़ हेत् एक अवसर तथा लम्बी कूद एवं गोला फेंक हेत् 3 अवसर प्रदान किये जायेंगे।
- 3. 800 मीटर की दौड़ में क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों को ही लम्बी कूद और गोला फेंक में सम्मिलित किया जावेगा।

नोटः- शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी। उक्त के लिये किसी प्रकार का चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। उम्मीदवारों को उनकी शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा के लिये चयन समिति द्वारा जो तिथि स्चित की गई है, उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

1.17 <u>परीक्षा परिणाम की घोषणा</u> :-

1.17.1 चयन सूचीः (ऑनलाईन परीक्षा-कुल पूर्णांक 100) ऑनलाईन परीक्षा के प्राप्तांको तथा शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा में सफल हुये उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी। सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों में से अनारिक्षित पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी। इस सूची में आरिक्षित वर्ग (अनु0जा0/ अनु0ज0जा0 / अन्य पिछड़ा वर्ग) के वे उम्मीदवार भी शामिल होंगे जो किसी भी छूट के बिना (शुल्क की छूट के अतिरिक्त) चाहे वो उम्म, शैक्षणिक योग्यता तथा शारीरिक दक्षता हो अनारिक्षित श्रेंणी के कटऑफ अंक से अधिक अंक पाता है और उसकी उच्च प्राथमिकता का पद अनारिक्षित श्रेंणी में मिल रहा है, तो वह अनारिक्षत श्रेंणी के लिये पात्र होगा। शेष

उम्मीदवारों में से अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों की उनके अपने-अपने जाति वर्ग के लिये विज्ञापित आरक्षित पदों के लिये पृथक-पृथक सूचियाँ बनाई जायेगी।

1.17.2 यें सूचियां बनाने के बाद होमगार्ड, महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये "ओवरऑल हॉरीजेण्टल आरक्षण" को प्रभावी किया जायेगा।

स्वयं सेवी नगर सैनिकों के लिये 15 प्रतिशत "ओवरऑल हाॅरीजेण्टल आरक्षण" लागू है। शासन के आदेशानुसार स्वयं सेवी नगर सैनिकों के चयन के लिए आरक्षक संवर्ग हेतु निर्धारित लिखित परीक्षा से छूट है परंतु होमगार्ड सैनिकों को आरक्षक (रेडियो) पद हेतु दोनों प्रश्न पत्र देना अनिवार्य है। होमगार्ड सैनिकों की विरयता(मेरिट), उनकी होमगार्ड सैनिक के रूप में सेवाकाल की अविध के क्रम में निर्धारित करते हुये बनाई जावेगी। यदि कई होमगार्ड सैनिकों का सेवाकाल बराबर पाया जाता है तो अधिक आयु वाला होमगार्ड सैनिक उम्मीदवार, कम आयु वाले वाले होमगार्ड सैनिक से मेरिट क्रम में ऊपर होगा।

भू0पू0 सैनिकों का 10 प्रतिशत हॉरीजेण्टल आरक्षण है, किन्तु भू0पू0 सैनिकों का आरक्षण कम्पार्टमेंटवाइज हो जाने से इनकी मैरिट सूची जाति वर्गवार बनाई जावेगी और 10 प्रतिशत की संख्या की गणना भी जाति वर्गवार ही होगी।

- 1.17.3 ऑनलाईन परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी, अर्थात समान अंक प्राप्त करने वाले जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी वह मेरिट क्रम में समान अंक प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से ऊपर रहेगा ।
- 1.17.4म.प्र. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारोंकी तैयार की गई सूची को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेब साइट पर उपलब्ध कराया जावेगा।
- 1.18 ईकाई में पदस्थापना दर्शाने वाली अंतिम चयन सूची:-
- 1.18.1 म.प्र. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा चयनित उम्मीदवारों को उनके मेरिट क्रम में उनके द्वारा आवेदन पत्र भरते समय,दर्शाई गयी ईकाईयों केप्राथमिकता क्रम में उपलब्ध रिक्त स्थान पर नियुक्ति प्रस्तावित करते हुये चयन सूची तैयार की जावेगी। यह चयन सूची पुलिस जोन वार एवं जिलावार बनाई जावेगी। किसी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय पुलिस मुख्यालय का होगा ।
- 1.18.2 चयन सिमिति द्वारा सूची के अनुमोदन उपरान्त म.प्र. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा चयनित उम्मीदवारों का नाम एवं परिणाम उनकी वेब साइट पर उपलब्ध कराया जावेगा। चयन सूची की एक प्रति तत्काल पुलिस मुख्यालय भिजवाई जावेगी तथा संबंधित जोन एवं इकाई के नोटिस बोर्ड पर भी अविलंब चस्पा की जावेगी।
- 1.19 यात्रा किराया:-

मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को द्वितीय/तृतीय चरण में सम्मिलित होने पर यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति पुलिस विभाग द्वारा कीजायेगी। उक्त हेतु उम्मीदवारों को अपने बैंक खाते की पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति साथ लायेंगे, जिसमें उम्मीदवार का खाता क्रमांक, बैंक का नाम एवं आई.एफ.एस.सी. कोड स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा हो।

1.20 <u>चरित्र सत्यापन</u>:-

नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व शासन के आदेशानुसार प्रत्येक उम्मीदवार का चिरत्र सत्यापन कराया जावेगा। उम्मीदवारों को चिरत्र सत्यापन फार्म में पूरी एवं सही-सही जानकारी भरना चाहिये, कोई झूठी जानकारी, अधूरी जानकारी, अधूसत्य जानकारी नहीं देना चाहिये। कोई जानकारी छिपाना भी नहीं चाहिये। विशेष कर चिरत्र सत्यापन फार्म के कॉलम नम्बर 12 में सही-सही जानकारी भरना आवश्यक है। अब मध्यप्रदेश शासन के चिरत्र सत्यापन संबंधी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी को चिरत्र सत्यापन के संबंध में इस आशय का शपथ पत्र देना आवश्यक है जिसमें आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उनके द्वारा उसके पूर्ववत के अन्तर्गत दिए गए विवरणों में उसने किसी तथ्य को जानबूझकर जानते हुये नहीं छिपाया है। यदि कोई उम्मीदवार चिरत्र सत्यापन फार्म में कोई तथ्यात्मक

जानकारी छिपाता है अथवा कोई गलत जानकारी देता है तो वह सेवा के अयोग्य ठहराया जावेगा और उसे नियुक्ति नहीं दी जावेगी ।

यदि यह तथ्य सेवा में नियुक्ति के बाद उजागर होता है तो उसे बिना कोई अन्य नोटिस दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। चिरत्र सत्यापन विपरीत होने पर नियुक्ति अथवा सेवा में बने रहने की पात्रता नहीं होगी। ऐसे चयनित व्यक्तियों का नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

1.21 स्वास्थ्य परीक्षण:-

उम्मीदवार को नियुक्ति आदेशजारी होने पर उसका स्वास्थ्य परीक्षण जिला मेडिकल बोर्ड से कराया जावेगा जिसमें उसे पुलिस सेवा के लिये निर्धारित मापदण्डों पर पूर्ण रूप से फिट होना अनिवार्य होगा। जिला मेडिकल बोर्ड से उम्मीदवार को शासकीय सेवा हेतु अनिफट घोषित किये जाने पर उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी तथा उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

1.22 <u>चयन सूची से नियुक्ति</u> :-

सीधी भर्ती के लिये उपरोक्त बिन्दु 1.17 के अन्तर्गत बनाई गई चयन सूची से ही नियुक्ति की जावेगी। नियुक्ति आदेश चयन सूची में विरष्ठता के क्रम में जारी किये जावेगे। नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व उम्मीदवारों का चिरत्र सत्यापन स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा चिरत्र सत्यापन में कोई विपरीत रिमार्क न होने और स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निर्धारित मापदण्ड के आधार पर पूर्ण रूप से फिट होने पर ही उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी कर पुलिस लाईन अथवा सम्बन्धित कार्यालय में आमद देने का आदेश दिया जावेगा।

- 1.22.1 नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को तीन वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जावेगा।
- 1.22.2 जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जावेगी।
- 1.22.3 निर्धारित प्रशिक्षण से स्थायी या अस्थायी छूट का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षण पर निर्धारित समय में उपस्थित न होने वाले चयनित उम्मीदवारों का नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा/नियुक्ति प्रस्ताव वापस ले लिया जावेगा। इस संबंध में मेडिकल प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- 1.22.4 प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शारीरिक तथा बौद्धिक प्रशिक्षण, अस्त्र-शस्त्र संचालन आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें किसी वजह से कोई क्षिति होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के लिये एक अवसर प्रदान किया जावेगा।
- 1.22.5 जो उम्मीदवार जिस ईकाई में नियुक्त किया जावेगा वहाँ उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य ईकाई में स्थानान्तरण का पात्र हो सकेगा।
- 1.22.6 चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के बाद पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं व मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के अन्तर्गत राज्य के अन्दर व राज्य के बाहर पदस्थ किया जा सकेगा। राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों जैसे राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू), लोकायुक्त, अथवा ऐसी अन्य संस्थाओं में की जाने वाली पदस्थापना में उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है।

1.23 <u>सामान्य निर्देश</u>:-

उपरोक्त नियमों के सम्बन्ध में किसी संशय अथवा विवाद की स्थिति में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी स्थायी राजपत्र आदेश (G.O.P.) क्रमांक 137/12 दिनांक 30/07/2012 एवं अद्यतन संशोधन दिनांक 06.01.2016 में अंकित प्रावधान अंतिम रुप से मान्य होंगे। यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन- पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अथवा अन्य किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है।अतः ऑनलाईन परीक्षा में उम्मीदवारों का प्रवेश तथा ऑनलाईन परीक्षा का परिणाम प्रावधिक (Provisional) होगा। ऑनलाईन परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है। ऑनलाईन परीक्षा में सफल होने के बाद उम्मीदवार को उसके मूल प्रमाण पत्रों की जांच में, शारीरिक

प्रवीणता परीक्षा में, जिला मेडिकल बोर्ड के द्वारा किये जाने वाले स्वास्थ्य परीक्षण में तथा चिरत्र सत्यापन में सफल एवं योग्य होना आवश्यक है। उम्मीदवारों को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानो, शारीरिक नापजोख, ऑनलाईन परीक्षा, शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा, चिरत्र सत्यापन तथा चिकित्सकीय परीक्षण, सभी में पूर्णतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी।

नोट :- उक्त निर्देशों के अतिरिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक तक म.प्र. शासन द्वारा जारी समस्त नियम/निर्देश/परिपत्रों को स्वतः सम्मिलित माना जावेगा।

(अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (चयन/भर्ती) द्वारा अनुमोदित)

(अभिषेक दीवान) सहायक पुलिस महानिरीक्षक (चयन/भर्ती) पुलिस मुख्यालय, भोपाल

अध्याय-2

प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश खण्ड-अ

- 2.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीऑति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।
 - (ii) विज्ञापित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।
 - (iii) विभागीय कण्डिका 1.15 एवं 1.16 के अन्सार अभ्यर्थी द्वारा एक ही आवेदन किया जावेगा ।
 - (iv) उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।
 - (v) अभ्यथी के परीक्षा केन्द्र/तिथि परिवर्तन के आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।
- 2.2 (i) <u>आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य</u> रूप से पूर्ण होने चाहिये ।
 - (ii) आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।
 - (iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।
 - (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
 - (v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबधित विभाग (पुलिस मुख्यालय/ ईकाई प्रमुख) द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
 - (vi) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेत् ।)
- (iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य, यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।

- 2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone,Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णत: वर्जित है।
- 2.5 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :-अध्याय 01 की कण्डिका 1.4 विभागीय नियम अनुसार ।

2.6 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आय् सीमा :-

- (i) अध्याय 01 की कण्डिका 1.7 विभागीय नियम अन्सार ।
- (ii) तृतीय श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।

2.7 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :-

- (i) विभागीय नियम अध्याय 1 की कण्डिका 1.9 के अन्सार ।
- 2.8 (अ)मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आय् सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-
 - (i) विभागीय नियम अध्याय 1 की कण्डिका 1.8 के अन्सार ।
- 2.8 (ब) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. 524/575/2015/आप्र/एक भोपाल, दिनांक 25 जून 2015 के आधार पर भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के नियम-5 में निम्नानुसार प्रावधान है:-
 - " आयु-सीमा के संबंध में विशेष उपबंध-राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वह इन नियमों के अधीन आरक्षित हो या अनारिक्षित हो, नियुक्ति के लिये प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को जो संघ के सशस्त्र बलों में लगातार कम से कम छह मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की कालाविध घटाने के लिये अनुजात किया जाएगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उस पद या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्ति चाहता है, चिहिंत अधिकतम आयु-सीमा में तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आयु-सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है।
- 2.9 नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के संबंध में म.प्र. शासन, गृह विभाग के परिपत्र क्र./एफ-2(अ)/541/92 /ब/दो भोपाल, दिनांक 04/04/1995 के द्वारा पुलिस विभाग को विकलांगों के लिये आरक्षित पदों से भरे जाने से मुक्त रखा गया है।
- 2.10 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-
 - ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की बृदि दृष्टिगोचर होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार स्रक्षित रखता है।
- 2.11 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- (iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, **बाये हाथ के अंगूठे का निशान** तथा हस्तिलिप (काले बाल पांईट पेन से) अंकित करना होगी।
 - (iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2-12 मूल्यांकन पद्धति:-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.13 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपित्तियाँ आहूत की जाती है तद्नुसार विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपित्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :-

- (i) प्रश्न की संरचना गलत हो।
- (ii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- (iii) कोई भी विकल्प सही न हो।
- (iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- (vii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।
- उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नान्सार होगी, 90 x 100

---- = 91.83 (100 - 2)

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नान्सार होगी। 140 x 150

--- = 141.89 (150 - 2)

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नान्सार होगी।

$$190 \times 200$$

$$---- = 191.91$$

$$(200 - 2)$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी । (आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

2-13 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मीलाईजशन पद्धति :-

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाऐं, जिसमें परीक्षा आयोजिन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मीलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा । जिसका सूत्र निम्नान्सार है:

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session \widehat{M}_{ij} is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = rac{ar{M}_t^g - M_q^g}{ar{M}_{ti} - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

 M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

 \bar{M}_t^g is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

 M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

 \bar{M}_{ti} is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

 M_{iq} is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

(नार्मोलाइजेशन पद्धित के बारे में जानने के लिए पी.ई.बी. की वेबसाईट देखे)

2-14 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन:-

- (i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपित्तयाँ इस हेतु वेबसाईड पर ऑनलाइन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है । लिंक अपलोड होने के पश्चात् तीन दिवस तक ही आपित्तयाँ ली जा सकेगी । उसके उपरान्त लिंक निष्क्रिय हो जावेगी ।
- (ii) बिन्दु क्रमांक 2.13 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2-15 अनुचित साधन (Unfair means, UFM):-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) <u>अनुचित साधन(Unfair means),यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों</u> के संबंध में

- 1-परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा / Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।
- 2- परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, ईशारे करनाव अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना ।
- 3- प्रतिबंधित सामग्री पाये जानेपर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा ।
- 4 नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना ।
- 5- सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना ।
- 6- सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।
- 7- परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना,धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना ।
- 8- परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना ।
- 9- ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है ।
- 10-उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की श्चिता एवं पवित्रता दृषित होती हो ।

यूएफएम प्रकरणो में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे । उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी ।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1- अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कत्य विधिके अनुसार अपराध है । ऐसे में अभ्यर्थी में विरूद्ध यूएफएमप प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी । ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

2- विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते है, तो विभाग उक्त अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए प्लिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर पी.ई.बी. को अवगत कराया जायेगा ।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

2.16 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की स्विधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।
- (iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाएंगी ।
- (v) अन्तिम कुंजी समिति की अन्शंसाएं भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाएंगी।

2.17 परीक्षा परिणाम :-

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।
- (ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.18 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।
- (ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में पी.ई.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा ।
 - (iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।
- 2.19 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

2.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा:-

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तिलिपी को प्रपत्र प्रारूप-01 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी/दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

2.21 ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तिलिपी को प्रपत्र प्रारूप-01 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा । जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।
- (iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (vi) फोटोग्राफ <u>आवेदन भरने की तिथि</u> से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा <u>फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना</u> <u>चाहिये।</u> यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- (vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अत: ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ स्रक्षित रखा जाना होगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णत: स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2.22 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

- (i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।
- (ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तिलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमित दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रूटि सुधार के लिखित आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा ।
- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, तािक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यिद कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भ्गतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.23 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सिहत आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक /आधार V ID अनिवार्यत: अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है । इसके उपयोग से
 - 1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा ।
 - 2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा । विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।
 - (vi) पहचान पत्र के मीनू मे पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया

2.24 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की **वेबसाईट** www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरों) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.25 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेत् दो विकल्प हैं :-

- (अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)
- (ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा
 - (i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध Citizen

 Services (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

 Application क्लिक कर

Application क्लिक कर PEB लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/Instructions तथा परीक्षा नियम/Examination Rules उपलब्ध होंगे।

- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेत् Continue बटन को क्लिक करें।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तिलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तिलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व पुन: पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-
 - (अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंको के)
 - (ब) इंटरनेट बैंकिंग
- 2.26 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.27 इंटरनेट बैकिंग के माध्यम से परीक्षा श्ल्क का भ्गतान :-

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

 2.28 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, तािक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती

2.29 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

(i) ऑनलार्र्इन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अविध में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अविध में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यिद श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारिक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारिक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेंष राशि का भुगतान करना होगा।

- (vi) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पित के नाम एवं जन्मितिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की स्विधा उपलब्ध होगी।
- (vii) संशोधन के लिए निर्धारित अविध में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (ix) संशोधन के लिए निर्धारित समयाविध के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.30 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अविध में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा आधार नम्बर नाम, पिता/पित का नाम, माता का नाम जन्मितिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा "हाँ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प "हॉ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।
- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुन: शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.31 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तिलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

- (iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।
- 2.32 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।
- 2.33 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमप्स्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।
- 2.34 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अविध बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

2.35 प्न:गणना/प्नर्मूल्यांकन

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी दवारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.36 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत पी.ई.बी. की E-mail ID "complain.peb@mp.gov.in" पर भेज सकते है।

2.37 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की	भरने के कुल	करने की प्रारंभिक	करने की अंतिम	करने के कुल
	अंतिम तिथि	दिवस	तिथि	तिथि	दिवस
08/01/2021	22/01/2021	15	08/01/2021	27/01/2021	20

3.39 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्रं.	पाली	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक	
1.	प्रथम	06 मार्च 2021 02 घंटे		प्रातः 09:00 से 11:00 तक	100	
2	द्वितीय	से प्रारम्भ	02 46	दोपहर 03:00 से 05:00 तक	100	

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे । परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा।

2.38 (i) परीक्षा श्ल्क :-

पी.ई.बी. परीक्षा शुल्क	विभागीय शुल्क (ब)	कुल (अ+ब)		
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	दो प्रश्न पत्र के लिये	₹. 700/-	₹. 100/-	₹. 800/-
जनाराबात जन्यायया के लिय	एक प्रश्न पत्र के लिये	₹. 500/-	₹. 100/-	₹. 600/-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये	दो प्रश्न पत्र के लिये	₹. 350/-	₹. 50/-	₹. 400/-
(केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	एक प्रश्न पत्र के लिये	₹. 250/-	₹. 50/-	₹. 300/-
.ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 60/- देय होगा इसके				
भविगिक्त रस्टिई मिटीजन राजर के माध्या	प मे व्यक्तिन कर फार्म भर	ने पर पोर्टल शल्क	20/- ऊ. टेग दोगा ।	

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये
		किये जाने पर शुल्क	जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	40/-

2.39 परीक्षा शहर :-

आनलाईन लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी । बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धित से आयोजित है अतः परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र					
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर	5. उज्जैन	6. नीमच
7. रतलाम	8. मंदसौर	9. सागर	10. सतना	11. खंडवा	१२. गुना
13. दमोह	14. सीधी	15. छिंदवाड़ा	16. बालाघाट		

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

2.40

- (i) परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यथी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा । अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के दवितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) पी.ई.बी की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।
- (v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की स्विधा उपलब्ध रहेगी।
- (vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।
- (vii) पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।
- (viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते है । अत: आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यकरूप से संभाल कर रखे जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
- (x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट मे किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधन पी.ई.बी. के पास सुरक्षित रहेगा ।
- (xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है ।
- (xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धातर तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।
- (xiii) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी । ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।
- (xii) परीक्षा में निर्धारित रिपोटिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

अध्याय - 03

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम.

लिखित परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसका योग 100 अंकों का निम्नानुसार होगा। सभी प्रश्न म.प्र .माध्यमिक शिक्षा मण्डल की आठवीं कक्षा के स्तर के होंगे ।

(अ) सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान

40 अंक

(ब) बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरूचि

30 अंक

(स) विज्ञान एवं सरल अंक गणित

30 अंक

उक्त प्रश्न पत्र के आरक्षक (रेडियों) पदों के लिये पात्र एवं इच्छुक आवेदकों को उपरोक्त दर्शित प्रश्न पत्र के साथ-साथ द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में 100 अंकों का एक तकनीकी प्रश्न पत्र की भी परीक्षा देनी होगी, जिसका पाठ्यक्रम अध्याय-1 की कण्डिका 1.13 में दर्शित योग्यता अनुसार होगी।

अध्याय-4 प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-1

Professional Examination Board प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo 4" x 5" सेमी फोटो यहाँ चिपकाये 4" x 5" cm photo paste here

हस्ताक्षर / Signature

Box-2 निर्देश / Instruction)हस्ताक्षर / Signature)

- (i) अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों en vFkok vaxath ds y/kq gLrk{kj ekU; ugha gkaks A (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii)signature in capital letter or Short is not allowed(iii) more than 1 signature will be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिएतथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक प्राना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वाराआवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर परझूठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसारसंतोषजनकनहींपाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारीरद्दकी जा सकती हैं।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा कोबॉक्स-3 के अंदरअपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your

running hand writingin box-3, the declaration given above)

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-2

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये स्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हों तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किस एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें-:

1. जिलाध्यक्षा/अपर जिलाध्यक्षा/उप जिलाध्यक्षा/अनुविभागीय अधिकारी) राजस्व (अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा अधिकृत अन्य कोई अधिकारी। स्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये-

	कार्यालय	अनुविभागीय उ	अधिकारी) प्रमाणीक	रण(
अनुभाग			जि	त्रा		
			मध्य प्रदेश			
पुस्तक क्र	म ं क					
प्रमाण पत्र	क्रमांक	प्रकः	रण क्रमांक			
	स्था	यी जाति प्रमाण	पत्र-नियम 8 (1)			
यह	प्रमाणित		* *	ह ें	कि	
				पिता/	/पति का	नाम
विकासखण्ड	तहसील	जि	ला	संभाग		
जाति/जनजाति का/	की सदस्य हैं और इस	जाति/जनजाति	को संविधान के 3	ानुच्छेद ३४१ व	के अधीन मध	्य प्रदेश
राज्य के संबंध मे	i अनुसूचित जाति/अ	नुसूचित जनजा	ति के रुप में वि	निर्दिष्ट किया	गया हैं 3	नौर यह
	जाति/जनजाति	ो अनुसूचित ज	ाति एवं जनजाति)	संशोधन (अ	धिनियम, 1	976 के
अन्तर्गत मध्य	प्रदेश की सूची	में अनुक्रमां	कपर अंकित	हैं, अतः	श्री/श्रीमती/	कुमारी
	पिता/पति का नाम	Ŧ	अनुसूचितः	जाति /जनजाति	ते का/की हैं	I
2. प्रमाणित ी	किया जाता हैं कि आ	वेदक श्री/श्रीमती	/कुमारी		के परि	रेवार की
कुल वार्षिक आय र	पये	हैं।				
दिनांक				हस्ताक्ष		
			(प्रमाणीकः	रण अधिकारी	का नाम,पदन	गम सील)

अनुस्चित जाति/अनुस्चित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये अस्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अर्न्तगत अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हो तथा उनके पास जाति संबंधी स्थाई प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्रस्त्त करें-

1. संबंधित) राजस्व (अधिकारी/तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायव तहसीलदार। अस्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये-

(अस्थायी प्रमाण पत्र (नियम 8 (2)

कार्यालय, अन्विभागीय अधिकारी) प्रमाणीकरण(अनुभाग......मध्य प्रदेश पुस्तक क्रमांक.....प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक..... जाति प्रमाण पत्र किया यह प्रमाणित श्री/श्रीमती/कुमारीपिता/पति नामनिवासी/ग्राम/नगर.....तहसील.....जिला संभाग......जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/ जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचि चत जनजाति के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह...... जाति/जनजाति अन्सूचित जाति एवं जनजाति) संशोधन (अधिनियम,1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश अन्क्रमांक.....पर अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारीपिता/पति का नाम...... अन्सूचित जाति / जनजाति का/की हैं । प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/ कुमारी.....के परिवार की क्ल वार्षिक आय रूपये......हैं। दिनांक हस्ताक्षर (प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम सील)

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा।

प्रारूप-4

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये

प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप (स्थायी जाति प्रमाण पत्र (नियम 8(1) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी) प्रमाणीकरण(

अनुभाग	Г		जिला	म	ध्यप्रदेश पुस्तक	क्रमांक	
	प्रमाण	पत्र क्रमांक		प्रक	रण क्रमांक		
				जाति प्रमाण प			
	0		~			77.	_
a Q (a Q			प्रमाणित				
	-		निवास/ग्र				
			जवास/ <i>७</i> जिला	॥म/नगर			
			मध्य	ग पटेश के नित	सी हैं जो		
			रूप में मध्य प्र				
			ना क्रमांक एफ-8			•	
किया ग		m on avia	,	0/ 10 4/(// 1/01,	1901111 20 1	9(1) 4(1001	प्यास आयराज्य
	-	T			पिता/पति	का	नाम
			और/उन				के जिला
			संभाग				
		•	नेसका उल्लेख भ				
			(.दिनांक 8.9.199				
			` क-एफ-7-26/93/ <i>*</i>		•		
		ाम) 3) मे कि			·		·
٥ ٨			ज्या जाता हैं कि	आवेदक श्री/श्रीम	ती/कुमारी		के
परिवार			य रूपये				
	3						
	दिनांक					हस्ताक्षर	
					(प्रमाणीकरण	अधिकारी का	नाम,पदनाम सील
	यह प्रम	गण पत्र जारी	करने के लिये प्रा	धिकृत अधिकारि	(यों की सूची।		
	प्रमाणी	करण हेतु निव	न्नलिखित अधिक	ारियों को प्राधिव	कृत किया ग या	हैं जहां कि अ	भ्यर्थी एवं उसका
परिवार	निवास						
	करता है	()					
			गध्यक्ष/उप जिलाध	ध्यक्ष/अनुविभागी	य अधिकारी) र	राजस्व/(जिलाध्य	1क्ष अथवा शासन
द्वारा ३	भन्य प्राप्	धेकृत अधिका	री।				

प्रारूप-5

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये

प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र (नियम 8(2) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी) प्रमाणीकरण

अनुभाग			जिला					मध्यप्रदेश			
	पुस्तक क्रमां									प्रकरण	
क्रमांक	<u> </u>										
				_							
				जा	ते प्रमाण	पत्र					
2.	यह	प्रमाणि	ਰ	किया	-	जाता		हैं	कि		
श्री/श्री	मती/कुमारी						पि	ता/पति	का	नाम	
					निवास/	ग्राम/नग	र				
		f	वे.ख			ส	हसील			जिला	
		संभा	ग		मध्य	प्रदेश के	निवासी	हैं, जो		जाति	
के हैं,	जिसे पिछड़ा व	र्ग के रूप	में मध्य प्र	प्रदेश शास	न, आदिम	जाति,	अनुसूचित	जाति एव	ां पिछडा	वर्ग कल्याण	
विभाग	ा की अधिसूचन										
हैं।	श्री/श्रीमती/कु	मारी						पिता/प	गति का	नाम	
		और/उन	नका परिवा	र सामान	यतः मध्य	प्रदेश के	जिला			संभाग	
में	निवास श्री/श्रीमती/कु										
श्रेणी	में नहीं आते										
	2/22/93/स्था)एर										
	-य प्रशासन विभ										
) अनुसूची के क						,				
`	3. प्रमा				\$	कि	आवेद	क १	श्री/श्रीमती/व	कुमारी	
										_ऽ आय	
							3				
	दिनांक							हस्ता	क्षर		
						(प्रमा	णीकरण 3	भधिकारी ⁻	का नाम,प	दनाम सील)	
	यह	प्रमाण प	ात्र जारी	करने के	लिये प्रा	धेकृत 3	नधिकारियों	की सूच	ी। प्रमार्ण	ोकरण हेतु	
निम्न	लिखित अधिकार्ग	रेयों को	प्राधिवृ	ृत किया	गया हैं ज	हां कि 3	भभ्यर्थी एव	वं उसका	परिवार नि	वास करता	
हैं। संव	बंधित राजस्व 3	नधिकारी /त	नहसीलदार	' /अतिरिक	त तहसील	दार /नार	यव तहसीत	नदार			
	यह प्रमाण प	ात्र जारी क	ज्रने के दि	नांक से 6	े माह के	लिये वैध	रहेंगा।				
	नोट :वर्णित	विभिन्न प्र	गरूपों के उ	भतिरिक्त	भी यदि व	नेई संबंधि	धेत प्रारूप	शेष रह उ	जाता हैं तो	वह शासन	
के द्व	ारा जारी किए व	गए प्रारूप	के अनुसार	र होगा।							

प्रारूप-6

सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 18 जुलाई 2019 का संलग्नक)

मध्य प्रदेश शासन

प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 Page 41

कार्याल्य डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट होमगार्ड..... म.प्र.

प्रारूप-7

प्रमाण-पत्र

	प्रमाणित किया जाता है कि					पुत्र/पु	त्री/पत्नी
श्री			पद			सैनिक	क्रमांक
	जिला	में	दिनांक			से	दिनांक
	तक होमगार्ड	में सेव	ारत रहें है	। सेवा वे	न दौरान	इनका	आचरण
अच	छा पाया गया है । होमगार्ड में दिनां	क		से अ	ाज दिनां	क तक	कार्यरत
रहत	। ह्ये , इन्होने तीन वर्ष/तीन वर्ष से	अधिव	क्र की (जो	लागू न ह	ो उसे व	नट दें)	सक्रिय
सेव	पूर्ण कर ली है ।						
स्थ	न						
दिन	ाक						
				(हस्त	ाक्षर)		
			(नाम	हस्ताक्षर	कर्ता अधि	वेकारी)	

डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट/नियंत्रणकर्ता अधिकारी होमगार्ड